कार्यालय नगर पंचायत, सलेमपुर, देवरिया।

पत्रांक 64 /न0पं0सलेमपुर/नीलामी/–2017–18 दिनांक 16 मार्च, 2018

सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2018–19(01.04.2018 से 31.03.2019) तक के लिये नगर पंचायत,सलेमपुर के टैक्सी/टैम्पो स्टैण्ड से पार्किंग शुल्क की वसूली के लिये सार्वजनिक एवं खुली बोली के रुप में नीलामी अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 26.03.18 को 11:00 बजे नगर पंचायत कार्यालय पर की जायेगी। बोली बोलने वाले को अद्यतन चरित्र प्रमाण–पत्र तथा हैसियत–प्रमाण पत्र के साथ जमानत धनराशि मु0–6,00,000.00(छः लाख रुपये मात्र) जमा करने के बाद ही बोली में भाग लेने दिया जायेगा तथा किसी भी बकायेदार को बोली में भाग लेने की अनुमति प्रदान नही की जायेगी। नीलामी बोली निर्णित होने पर धनराशि तत्काल जमा करना होगा। अन्य सूचना/शर्तो की जानकारी कार्यालय दिवस से प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी कारणवंश दिनांक 26.03.18का नीलामी उल्लिखित मदों में से किसी मद का निर्णित नही हो पाता है तो ऐसी दशा में पूर्व सूचना/शर्तों के ही आधार पर पुनः सार्वजनिक नीलामी नगर पंचायत कार्यालय पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 27.03.18 को 11:00 बजे से की जायेगी। नीलामी से सम्बन्धित नियम/शर्तो की जानकारी नगर पंचायत सलेमपुर कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में किया जा सकता है या www.deoria.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

(राम सुरेश सिंह)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत सलेमपुर,
देवरिया।

(जय प्रकाश मद्धेशिया)
अध्यक्ष,
नगर पंचायत सलेमपुर
देवरिया।

संख्या 64(14)/न0पं–सलेमपुर–2017–18 दिनांक/6 मार्च 2018

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एंव प्रकाशन हेतु प्रेषित।

1–जिलाधिकारी देवरिया।
2– पुलिस अधीक्षक, देवरिया।
3–उप जिलाधिकारी, सलेमपुर।
4–उप पुलिस अधीक्षक,सलेमपुर।
5– तहसीलदार, सलेमपुर।
6– प्रभारी निरीक्षक, थाना –कोतवाली, सलेमपुर।
7– अध्यक्ष जिला पंचायत, देवरिया।
8– समस्त अध्यक्ष नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषद जनपद–देवरिया।
9–सम्पादक अमर उजाला एवं राष्ट्रीय सहारा को इस आशय से प्रेषित की उक्त नीलामी सूचना को अपने समाचार पत्र के अगले अंक में प्रकाशित कर समाचार की दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु प्रेषित करें।
10– जिला सूचना एवं विज्ञापन अधिकारी, देवरिया को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किनिविदा सूचना की सी0डी0 www.deoria.nic.in पर डाउनलोड करने का कष्ट करें।
11– नोटिस बोर्ड पर चश्पा हेतु।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत सलेमपुर,
देवरिया।

JAIPRAKASH
अध्यक्ष,
नगर पंचायत सलेमपुर
देवरिया।

कार्यालय नगर पंचायत, सलेमपुर–देवरिया।

नीलामी सूचना/शर्त

टैक्सी/टैम्पों स्टैण्ड

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत,सलेमपुर–देवरिया के वर्ष 2018–19 (01.04.2018 से 31.03.2019 तक) के लिये टैक्सी/टैम्पों स्टैण्ड से पार्किग वसूली के लिए नगर पंचायत,कार्यालय पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 26.03.18 को 11:00 बजे निम्नाकिंत सूचना/शर्तो के अन्तर्गत की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित शर्तो को पूरा करने की दशा में बोली में भाग ले सकतें है।

1. टैक्सी स्टैण्ड/टैम्पों स्टैण्ड की नीलामी एक में ही की जायेगी तथा सरकारी गाड़ी से पार्किग शुल्क नही वसूला जायेगा केवल सवारी ढ़ोने वाले गाड़ियों से ही वसूली की जायेगी।
2. बोली बोलने वाले को जमानत के साथ सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा अद्यतन हैसियत प्रमाण–पत्र एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा चरित्र प्रमाण–पत्र नीलामी के पूर्व नीलामी के दिन जमा करना होगा।
3. बोली बोलने वाले को नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व सर्वप्रथम टैक्सी/टैम्पों स्टैण्ड से पार्किग शुल्क के लिए मु0 6,00,000.00 (छः लाख)रुपये जमानत धनराशि नकद जमा करना होगा।
4. नीलामी निर्णित होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को बोली की धनराशि में जमानत की धनराशि समायोजित करते हुए तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा ठेका निरस्त कर जमा धनराशि नगर पंचायत के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा तथा दूसरे स्थान रहने वाले व्यक्ति को ठेका दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है किन्तु बाध्य नही किया जा सकता है।
5. नियमानुसार देय समस्त कर जमा करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी।
6. नीलामी में केवल वही व्यक्ति भाग ले सकता है जिससे जमानत की धनराशि के साथ शर्त के अनुसार वाछित प्रमाण–पत्र आदि जमा कर दिया है।
7. बोली बोलने के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों को होना आवश्यक है जो नीलामी की शर्त का पालन करते हैं। इसके साथ ही नीलामी में कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र लेकर नही भाग ले सकता है।
8. सर्वोच्च बोली वाला व्यक्ति यदि नीलामी की धनराशि को जमा करने में असमर्थता व्यक्त करता है या ठीका लेने से इन्कार करता है तो शर्त–3 में उल्लेखित जमा जमानत की धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। तत्पश्चात् द्वितीय नम्बर के व्यक्ति के पक्ष में नीलामी दिये जाने पर विचार किया जायेगा या पुनः नीलामी करायी जाय यह अध्यक्ष/नीलामी अधिकारी के विवके पर निर्भर करता है।
9. नीलामी/बोली को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा। साथ ही किसी भी शर्तो में परिवर्तन करने का तथा शिथिलता या कठोरता करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
10. नीलामी की बोली निर्णित होने पर धनराशि जमा करने के बाद ही ठेकेदार को नगर पंचायत, सलेमपुर द्वारा निर्धारित दर के अनुसार वसूली करने के लिए अधिकृत किया जायेगा।
11. किसी भी नीलामी को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
12. यदि किन्ही परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरी द्वारा नीलामी को अस्वीकृत कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में उक्त आदेश प्राप्त होने पर ठेकेदार को तत्काल वसूली बन्द कर देना होगा। जितने दिन ठेकेदार वसूली किये रहेगे उतने दिन का कुल बोली का प्रतिदिन औसत की दर से जो होगा उसकी कटौती कर शेष धनराशि वापस किया जायेगा। अर्थदण्ड केवल शर्त–20 के लिए प्रभावी होगा।

13. टैक्सी, टैम्पों, प्राइवेट बस आदि को निर्धारित स्थल पर आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए खड़ा कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी।
14. निकाय के हित में नीलाम अधिकारी को यथा स्थित निर्धारित शर्तो में परिवर्तन/शिथिल करने का अधिकार सुरक्षित होगा। इस पर कोई आपत्ति मान्य नही होगी।
15. नगर पंचायत, सलेमपुर के किसी भी बकायेदार की बोली मान्य नही होगी और न तो वह नीलामी में भाग ले सकता है।
16. गाड़ियों की चेकिंग, दैविय आपदा या शादी विवाह आदि समारोह के कारण या अन्य किसी प्रकार के राजकीय आदेशों के तहत यदि आवागमन बन्द रहने या बाजार बन्द/हड़ताल उससे हुयी क्षति पर पूर्ति के लिए नगर पंचायत, सलेमपुर कदापि जिम्मेदार नही होगा और न तो किसी ठेकेदार को उपरोक्त दशा में छूट या माफी की सुविधा नही दी जायेगी।
17. जनहीत में जब भी शासन/प्रशासन एवं नगर पंचायत द्वारा उचित समझा जायेगा पार्किंग स्थल में परिवर्तन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
18. किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर इसका निपटारा जनपद न्यायालय में होगा।
19. नीलामी के शुरुआत में टैक्सी/टैम्पों स्टैण्ड के लिए मु0 35,00,000.00(पैतीस लाख) रुपये से प्रारम्भ की जायेगी। उक्त निर्धारित बोली की धनराशि से कम पर कदापि बोली नही बोली जायेगी।
20. एक बोली के बाद दूसरे व्यक्ति को कम से कम रुपया 5000.00(पाँच हजार) तथा अधिक से अधिक रुपया 1,00,000.00(एक लाख) की बढ़ोतरी मान्य होगी।
21. वसूली के ठेकेदार को अपने खर्च से रसीद छपवाकर उसका सत्यापन नगर पंचायत,सलेमपुर से कराना अनिवार्य होगा।
22. वसूली में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर ठेकेदार का ठेका निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
23. नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात् सम्बन्धित ठेकेदार को अपने ही खर्च से निर्धारित रकम के स्टाम्प पेपर पर जो स्टाम्प विभाग से अनुमान्य होगा नगर पंचायत,सलेमपुर के पक्ष में अनुबन्ध पत्र लिखना होगा।
24. नगर पंचायत सलेमपुर के हित में अधोहस्ताक्षरी/शासन/प्रशासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों को पालन ठेकेदार को करना होगा।
25. नीलामी सम्पन्न होने के पश्चात अन्य बोली दाताओं द्वारा जमानत के धनराशि को नियमानुसार वापस करने की कार्यवाही की जायेगी।
26. किसी कारणवशं दिनांक .26.03.18को नीलामी सम्पन्न नही हो पाती है तो पुनः नीलामी उपरोक्त शर्तो के अन्तर्गत दिनांक .27.03.18 को उक्त समय एवं स्थान पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जायेगा।

नीलामी किये जाने वाले मद का विवरण

क्र.सं.	मद का विवरण	जमानत की धनराशि	वसूली का दर प्रतिदिन	निर्धारित स्थल
1	2	3	4	4
1	टैक्सी/ टैम्पों स्टैण्ड	6,00,000.00	1–प्राइवेट बस– 70.00 प्रति गाड़ी प्रतिदिन 2–टैक्सी जीप –50.00 प्रति गाड़ी प्रतिदिन 3–बस 608–60.00 प्रति	1–देवरिया भरथुआ मगहरा भटनी की तरफ जाने–आने वाली सभी प्रकार की सवारी गाड़ियों का डिवाइडर एरिया से पष्चिम एवं सड़क से दक्षिण 10फूट छोड़कर बया कोतवाली तक पड़ाव स्थल सुनिश्चित है। 2–सोहनाग,बरठा चौराहा,मईल एवं बरहज की तरफ जाने–आने वाली सभी प्रकार की प्राइवेट सवारी

			गाड़ी प्रतिदिन 4–बस 407–50.00 प्रति गाड़ी प्रतिदिन 5–टैम्पों छोटा–10.00 प्रति गाड़ी प्रतिदिन 6–टैम्पों बड़ा –15.00 प्रति गाड़ी प्रतिदिन	गाडियों का पड़ाव स्थल गाँधी चौक से पुराना कोतवाली (श्रीहनुमान मन्दिर) तक ओवर ब्रिज के सटे दक्षिण तरफ सुनिश्चित है। 3– लार टाउन, मझौलीराज, भाटपार रानी, नवलपुर, फुलवरिया,मैरवा, भैगारी, बाजार, खामपार एवं भागलपुर, के तरफ आने–जाने वाली सभी प्रकार की प्राइवेट सवारी गाड़ियों का पड़ाव स्थल रेलवे ढ़ाला वाई पास रोड तक आम सड़क का आवागमन छोड़कर सुनिश्चित है। नोट– क्रम0(3) स्थल की देवरिया आने –जाने वाली प्राइवेट जीप,बस, भी उपयोग आम अवागमन को बाधा डाले बिनाकर सकेगें एवं बस सरकारी अनुबन्धित बस एवं प्राइवेट बस एवं प्राइवेट बस भी (1)पर ही पड़ाव स्थल सुनिश्चित किया गया है। क्रम(1) केवल जाने –आने के लिए पड़ाव स्थल है।

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत सलेमपुर,
देवरिया।

अध्यक्ष,
नगर पंचायत सलेमपुर
देवरिया।